फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

मुकदमा नं. 212 बनाम राजस्थान आदि

212 R.T.A. किस्म प्रार्थना पत्र

20/18

बाद जाँच ~~वाद~~/प्रार्थनापत्र/~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तामील तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 21/03/18 नियत हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

21-3-18 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के फर्जी वाद तामिल प्राप्त हुये। जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण की ओर से पैरोकार करकर उपस्थित। जवाब दावा देना चाहते हैं। इसकर दिया जाता है वास्ते विपक्षी के जवाब देव पत्रावली दिनांक 16-2-18 को पेश हो।

9-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत में न्यायालय पर ~~पेश हुई~~। प्रार्थी व विपक्षीगण के नोटिस वाद तामिल रहन तामिल प्राप्त नहीं हुये। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी का क्रमवाद पत्र धारा 88-89 धारा(5)-188 R.T.A. को लिए करने के कारण वाद पत्र खारीज हो चुका है। इस कारण प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली क्रम शुमार की जाकर क्रम वाद के साथ रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner